

अनुमति की शर्तें ।

- (1) उक्त आम - धुवन के विभाग की स्वीकृति स्वामि स्वयं करी करती है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्तिगत, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विभाग का कोई परामर्श/सिद्ध नहीं होगा ।
- (3) न ही विभाग किसी **सुविधा** के लिए परामर्शी होगा ।
- (4) सभी विभाग कार्य परामर्श करती है आवेदक विभाग को सुचित करेगा ।
- (5) स्वीकृत नगरो के विपरीत विभाग पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त हो जा सकती है ।

रक्त सिद्धी केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अवेदन क्रमांक 852 दिनांक 18/01/2024

शर्तें उपर दिए हुए की हैमसिद्ध

में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम ~~2000~~

का 194 (1) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 5369/- मात्र

जदिये रसीद संख्या 2869/8969 8970

दिनांक 12/01/2024 को जमा करा ~~दी~~ है ।

10/21/2024

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

जी+1
अलामा/ग

P-No = 3/113 मधुवन योजना

Handwritten signature and date: 21/1/2024